FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

राजेश कुमार बनाम तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 153 सन् 2022 जीसीएमएस नं. GCMS-2022/18

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
19/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद तामील अनु०। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते ~~बहस~~ साक्ष्य पत्रावली दिनांक 19/5/22 को पेश हो।	
19/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/6/22 को पेश हो।	
23/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। साक्ष्य प्रार्थी में सीताराम व लक्ष्मण का शपथ पत्र पेश हुआ। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 30/6/2022 को पेश हो।	
30/6/22 वकील प्रार्थी उप०। दीगर कार्यों में व्यस्त रहने से निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 13/7/22 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

13.[illegible] पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुयी। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम छापर पटवार हल्का बागड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 10 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम मंगलाराम पुत्र पोखर गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेश कुमार पुत्र पोखर है। परन्तु विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने गलती से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम मंगलाराम पुत्र पोखर गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कक्षा 12 की अंकतालिका, राशन कार्ड आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम राजेश कुमार पुत्र पोखर दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान सीताराम पुत्र पोखर जाति बलाई निवासी छापर व लक्ष्मण पुत्र पोखर जाति बलाई निवासी छापर का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के सही नाम की पुष्टि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कक्षा 12 की अंकतालिका, राशन कार्ड तथा गवाहान सीताराम पुत्र पोखर जाति बलाई निवासी छापर व लक्ष्मण पुत्र पोखर जाति बलाई निवासी छापर के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
छापर	खाता संख्या 10	मंगलाराम पुत्र पोखर	राजेश कुमार पुत्र पोखर

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner